फर्द अहकाम

रा0 उ0 मा0 वि0 खेराल0 ऽखानी
उप0 शाहपुरा

बनाम वन विभाग

1047/22

वा0 45

क्र0 आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/12/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षीगण उपस्थित। पक्षीगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल पाड़ के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित समझते हैं। अतः इस न्यायालय के अंतरिम दिनांक 23/11/2022 द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा में अभियोजन को मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था। अब उभयपक्ष को मूल पाड़ के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्थायी कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से खत्म हो तथा मूल पाड़ के हकिला रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)